सं0 सं0–14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–मुजफ्फरपुर–83/2012– 1199 /रा0,
बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) पटना–15,दिनांक:– 07/05/2013
भू–अर्जन प्रशाखा
अधिसूचना

संख्या : आर0 पटना, दिनांक :

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा– खबड़ा उर्फ किरतपुर गुरूदास, थाना नं0–334, अंचल–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क सड़क हेतु निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा खबड़ा उर्फ किरतपुर गुरूदास, थाना नं0–334, अंचल–मुशहरी, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– बेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 0.13 (तेरह डीसमिल) एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–अंश खेसरा नं0– 1339, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384 एवं 1385

चौहद्दी

उत्तर		अंश खेसरा नं०–1339, 1380, 1381, 1382 एवं 1383.
दक्षिण	--	अंश खेसरा नं०–1384 एवं 1385.
पूरब	--	पूर्ण खेसरा सं० –1401 एवं 1402.
पश्चिम	--	पूर्ण खेसरा नं०–1338 सड़क ।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय अंचलाधिकारी, मुशहरी मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियो को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

(पी0टी0ओ0)

सं0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–मुजफ्फरपुर–83 / 2013– 1199 / रा0,
पटना–15, दिनांकः– 07/05/ 2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/5/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।